न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेन्स / एलआर / 3695 / 98 / जिला नागौर

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार नांवा ।

.....प्रार्थी

बनाम

1- कजोडी बेवा गोपी
2- हनुमान मुतबन्ना गोपी
3- तिजूडी बेवा बालू
4- जीवण पुत्र बालू
5- केशा पुत्र बालू
6- लालू पुत्र बालू
7- बेबी पुत्री बालू
8- भंवरी पुत्री बालू

समस्त जाति कुम्हार निवासी धनजी का बाग के पास कुचामनसीटी तहसील नावा जिला नागौर।

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्रीमती शुभ्रासिंह, सदस्य

उपस्थिति :
श्री एस.पी. ओझा, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी के ।
श्री श्री जसराज जयपाल, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-1 के ।
अप्रार्थी संख्या-2 से 8 अनुपस्थित ।

दिनांक : 11-12-2009

निर्णय

1- यह प्रकरण राजस्व रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना जिला नागौर द्वारा सरकार जरिये तहसीलदार नांवा बनाम गोपी आदि के प्रकरण में ग्राम कुचामनसिटी में मन्दिर श्री द्वारकाधीश की भूमि अप्रार्थीगण के नाम से हटाकर पुनः मन्दिर के नाम दर्ज करने हेतु प्रस्तुत हुआ है । प्रकरण में अप्रार्थीगण केशा, तिजू बेवा बालू को रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा तामील होना पाया जाता है परन्तु बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस सरकारी अधिवक्ता व अप्रार्थी कजोडी की ओर से सुनी गई । प्रकरण में अप्रार्थीगण केशा, तिजू व लालू को रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा तामील होना पाया

Scanned with CamScanner

जाता है परन्तु बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस राजकीय अधिवक्ता व अप्रार्थी कजोडी की ओर से सुनी गई ।

2- विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर- 385/1 रकबा 0/2 गैर मुमकिन तहसील नांवा जिला नागौर में भूमि मूर्ति मन्दिर श्री द्वारकाधीश के नाम जमाबन्दी संवत 2010 से 2013 में दर्ज थी परन्तु बरवक्त बन्दोबस्त उक्त भूमि को अप्रार्थी के पिता/पत्नी बालू के नाम दर्ज कर दिया गया । दिनांक 13-1-1984 को मन्दिर श्री द्वारकाधीश ट्रस्ट की ओर से तहसीलदार, नावां का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें विवादित भूमि को सेट्लमेन्ट विभाग द्वारा गलती से खातेदार गोपी व बालू के नाम अंकित कर देने के कारण उक्त खसरान की आमदनी से महरुम होने की स्थति का वर्णन किया गया, जिस कारण से श्रीठाकुर जी का राजभोग व खजाने का खर्चा चलना मुश्किल हो गया । ट्रस्ट की ओर से निवेदन किया गया कि राजस्व मण्डल में प्रकरण को रेफर किया जाकर इन्द्राज दुरुस्ती कराई जावे । प्रकरण तथ्यों का उचित विवेचन करने के पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना ने यह रेफरेन्स राजस्व मण्डल में वर्ष 1958 में प्रस्तुत किया । राजकीय अधिवक्ता का कथन था कि चूंकि मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है अतः उनकी भूमि का हस्तान्तरण किसी अन्य को नहीं किया जा सकता ।

3- अपनी बहस में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि विवादित भूमि मन्दिर की खुदकाश्त आराजी न होकर बालू द्वारा काश्त की जाती रही है । एक्जीविट ए-6 जो कि मन्दिर के ट्रस्टी श्री गुलाबचन्द काबरा का पत्र दिनांक 13-1-1984 है, से भी स्पष्ट है कि गोपी, बालू पुत्र जीवा कौम कुम्हार श्रीठाकुर जी के काश्तकार थे । उनकी तरफ से वे ही हासल पर काश्त करते थे और काश्त करने की एवज में श्रीठाकुर जी को बराबर सालाना हासल देते थे, साथ ही हासल दस्तावेजो की फोटो प्रति एक्जीविट सी-4/1, सी-5/1 पर संलग्न पत्रावली है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में मन्दिर व अप्रार्थी के हक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-5(1) से परिभाषित होगें, जिसके अनुसार "Subtenant shall mean a person who holds land from the tenant, thereof andby whom rent is or but for a contract express or implied would be payable".

चूंकि इस प्रकरण में मन्दिर श्रीद्वारकाधीश की ट्रस्टी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि बालू व गोपी द्वारा ठाकुरजी की भूमि को काश्त करने की एवज में सालाना हासल दिया जाता रहा है अतः यह प्रकरण धारा-5 के तहत नियमन योग्य है ।

Scanned with CamScanner

4- अपने पक्ष मे विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने आरआरडी-1997 पेज-261, आरआरडी-2000 पेज-14 व 189 व आरआरडी-1996 पेज-535 पर दिये निर्णयों को उद्धत करते हुये तर्क दिया कि यदि मन्दिर की भूमि माफीदार के द्वारा काश्त की जा रही थी तो उक्त माफीदार को खातेदार घोषित किया जा सकता है । विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने तर्क के समर्थन में आरआरडी-1987 शिवराम बनाम श्री मिसरू पेज-261 प्रकरण में लार्जर बैंच द्वारा दिये गये निर्णय को अधिवक्ता ने निम्न प्रकार उद्धत किया है :-

> (a) Raj. Tenancy Act, Secs. 5 (25), 9, 10, 46(a) $ (e) Raj. Land Reforms $ Resumption of Jagirs Act. Sec. 2(i) & (k) and 9-A Hindu deity is a perpetual minor in eyes of law for purposes of both Acts - Land held in muafi by a deity but cultivated by a person other than by Shebait of deity, or by hired labour or servant engaged by its Shebait. as a tenant of deity. will still be regarded as land in personal cultivation of deity and khatedari rights shall not accrue to person cultivating land- A person who immediately preceding commencement of Jagirs Act is validly and in conformity with provisions of Law. entered in revenue records as a Khatedar, Pattedar, Khadamdar or under any other description implying that he is a tenant having heritable and full transferable rights in tenancy of Muafi Land of a Hindu idol or deity, shall become a khatedar tenant on such resumption of muafi for purposes of Raj. Land Reforms & Resumption of Jagirs Act, 1952 and Raj. Tenancy Act or under any other law for the time being inforce However, if he is not so entered, or did not enjoy both heritable and full transferable rights immediately prior to commencement of Jagirs Act on 18-2-52, then Khatedari rights cannot accrue to him on lands held by a Hindu idol after commencement or Jagirs Act.

अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क था कि चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में मन्दिर, गोपी तथा बालू के बीच में सालाना किराया सम्बन्धी समझौता किया हुआ था। अतः प्रकरण उपरोक्त आधार पर नियमन योग्य है ।

5- अपने प्रतिउत्तर में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि जमाबन्दी संवत 2010 से 2013 में स्पष्ट रूप से कालम-4 में भूमि अधिकारी डोली बनाम मन्दिर श्रीद्वारकाधीश वाके देह प्रबन्धक गुलाबचन्द वल्द कन्हैयालाल आदि को दर्ज किया हुआ है तथा कालम-5 में कृषक के रूप मे गोपी व बालू पिसरान जीवा कौम कुम्हार साकिन देह को खातेदार दर्ज किया हुआ है जिससे

Scanned with CamScanner

15

स्पष्ट है कि विवादित भूमि मन्दिर श्रीद्वारकाधीश के नाम दर्ज थी व गोपी तथा बालू केवल मन्दिर की जमींन को ट्रस्ट द्वारा काश्त करने हेतु समझौते पर रखा गया था । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने जितने भी न्यायिक दृष्टान्त उद्धत किये हैं वह सभी माफी की जमींन से सम्बन्धित है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में यह कहीं भी सिद्ध नहीं किया गया है कि जीवा तथा बालू मन्दिर के माफीदार थे, यह तो विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी अप्रार्थी द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मन्दिर की जमींन पर कोई खातेदारी अधिकार सबटेनेन्ट को प्राप्त नहीं होते, न ही प्रस्तुत प्रकरण के द्वारा अप्रार्थी मन्दिर की भूमि पर खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकार बनता है। यदि वास्तव में अप्रार्थी को अपनी खातेदारी की घोषणा करानी होती तो वह धारा-19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा लाकर अपने हक की घोषणा करा सकता था । अप्रार्थी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि भू प्रबन्ध विभाग ने किस आदेश द्वारा जमाबन्दी में उक्त भूमि को मन्दिर मूर्ति के नाम से दर्ज नहीं करा के अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किया है । ऐसा करने हेतु भू प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिये निर्विवादित रूप से उक्त अंकन भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत तर्को से किये जाने के कारण यह निगरानी स्वीकार योग्य है।

6- हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर गम्भीरता से मनन किया तथा सम्बन्धित रिकार्ड का भी अवलोकन किया।

7- प्रकरण में यह तो स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी संवत 2010 से 2013 में विवादित भूमि डोली बनाम द्वारकाधीश के नाम दर्ज थी व भूप्रबन्ध विभाग द्वारा नया रिकार्ड बनाते समय उक्त भूमि को अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया गया, ऐसी स्थिति में प्रश्न यह है कि क्या भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये अंकन सही है तथा क्या भू प्रबन्ध विभाग को डोली मन्दिर द्वारकाधीश के नाम दर्ज भूमि को अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करने का अधिकार प्राप्त था।

8- यह तथ्य निर्विवादित है कि मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है तथा उसके खातेदारी अधिकारों का अन्तरण अन्य किसी को नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा उद्धत विधिक दृष्टान्तों को समझना आवश्यक होगा। हमने इन न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया व पाया कि सभी दृष्टान्त माफी भूमि तथा रिजमशन आफ जागिर एक्ट 1952 से सम्बन्धित है। प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी यह सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि प्रस्तुत विवाद रिजमशन आफ जागिर एक्ट अथवा माफी भूमि से सम्बन्धित है । अतः इन उद्धणों की प्रस्तुत प्रकरण में कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने ए.आई.आर. 1998 (राज.) 85 'मंदिर ठाकुरजी बनाम राजस्थान राज्य' के विनिश्चिय में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है:-

Scanned with CamScanner

16

"Rajasthan Tenancy Act(3 pf 1955), S.46 - Khatedari rights - Accrual of - Exemption is provided in respect of minor and person incapable of cultivating land personally - deity falls under both categories - No person can get Khatedari rights in respect of property belonging to minor - deity is perpetual minor - Pujari of deity by manipulating getting such rights recorded in his favour - Entry is null and void - It is plain case of sabotage of public policy and legal philosophy."

अतः स्पष्ट है कि विवादित भूमि ट्रस्ट के नाम दर्ज थी व मूर्ति मन्दिर के नाबालिग होने की दशा में सालाना काश्त हेतु गोपी व बालू को दी गई थी । ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं ।

9- दूसरा बिन्दू यह है कि क्या भू प्रबन्ध विभाग को राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने का अधिकार था । आर.बी.जे. 1997 Vol-4 पेज-167 में अभिनिर्धारित किया गया हैः-

Settlement operation - Settlement and consolidation authorities cannot change the previous entries of record of rights. It is also settled position of law that settlement authority or consolidation authority does not have power to modify or change the the previous entry of record of rights without any order of compenent authority or by operation of law.

स्पष्ट है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा अप्रार्थीगण के हक में राजस्व रिकार्ड में किया गया खातेदारी अंकन क्षेत्राधिकार से बाहर होने से नियम विरूद्ध व Infructuous है ।

10- उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ट्रस्ट मन्दिर द्वारकाधीश द्वारा बालू से किये गये समझौते के आधार पर अप्रार्थीगण को भूमि में खातेदारी के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । प्रस्तुत प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मन्दिर श्रीद्वारकाधीश जी वाके देह के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(शुभ्रा सिंह)
सदस्य

Scanned with CamScanner